<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 30/2015 **दायर दिनांकः 06/04/2015**

उनवान

1. मदनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान।
2. रामकिशन आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. प्रभूलाल आयु 40 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 13/11/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सींदनी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में दिनांक 23.12.1975 को वादीगण के पिता गोपाल पुत्र पन्नालाल जाति बैरवा निवासी सींदनी के ख0नं0 35 में से 8 बीघा जमीन आवंटित हुई थी। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर कब्जा सम्भला दिया गया था। उक्त आवंटित नकल की एवज में 5/— रूपये जमा करवाये गये थे। नकल आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1975 व नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। दौराने सेटलमेन्ट वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 35 के नये ख0नं0 56, 57, 93, 77, 73, 54 बने है जो नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 ख0नं0 54 रकबा 2.69 है0 गैर मु0 पठार ख0नं0 57 रकबा 2.08 है0 गैर मु0 सड़क खाता संख्या 80 का ख0नं0 56 रकबा 7.35 है0 गैर मु0 पठार, ख0नं0 76 रकबा 8.27 है0 गैर0 मु0 पठार, ख0नं0 77 रकबा 9.78 है0 गैर मु0 पठार, खाता सं0 1 का ख0नं0 93 रकबा 1.82 है0 गैर मु0 पठार, खाता संख्या 1 का ख0नं0 100 रकबा 0.94 है0 गैर मु0 पठार बने है। नकल जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा वादीगण के खाते की आराजी को रिकार्ड में वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में सम्मिलित कर दिया है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाकर

वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है क्योंकि दिनांक 23.12.1975 आवंटन के समय से ही आराजी पहले वादीगण के पिता व अब वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी आराजी जो कि वादीगण के पिता गोपाल पुत्र पन्ना लाल जाति बैरवा को दिनांक 23.12.1975 को आवंटित हुई थी, को अपने खाते दर्ज करवाने बाबत् निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी तहसीलदार साहब अटरू ने वादीगण को कोई सन्तुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया। इस कारण माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी जो सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलती से वादीगण के खाते दर्ज न कर वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में परिवर्तित कर दी गई है जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज करने के अधिकारी है। इस बाबत् वाद माननीय न्यायालय में पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद घोषणा व खातेदारी का होने से जिला कलक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड, नोटिस प्रेषित कर दिया है। चूंकि मामला आवश्यक प्रकृति का है, प्रतिवादी वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिये वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है, अस्तु धारा 80(2) सी0पी0 के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पेश किया गया है। वाद कारण दिनांक 15. 02.2012 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी से अपनी आराजी पुरानी ख0नं0 35 का नवीन रकबा 1.28 है0 आराजी जो वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में मिला दी गई है, को कम करके वादीगण के खाते दर्ज करने की कहने पर प्रतिवादी द्वारा मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सींदनी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पेश कर वादीगण निवेदन करते है, कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें किः–

(अ) प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पुराना ख0नं0 35 की 8 बीघा जिसका नवीन रकबा 1.28 है0 जो वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में मिला दिया है। को कम करके वादीगण के खाते दर्ज की जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण के पिता गोपाल पुत्र पन्नालाल लाल जाति बैरवा निवासी सींदनी तहसील अटरू को दिनांक 23.12.1975 को गतखसरा नं0 35 का रकबा 8 बीघा ख0नं0 88 का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 198 का रकबा 18 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा ग्राम सींदनी की आवंटित हुई थी आवंटन का नामा0 सं0 57 दर्ज किया गया है। जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत् 2034–2037 में गैरखातेदारी में दर्ज किया गया एवं संवत् 2038–2041 में खाता संख्या 43 पर भी गोपाल पुत्र पन्नालाल बैरवा सा0 देह आवंटन दिनांक 23.12.1975 का किता 3 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा बारानी सोयम का अमल हो रहा है। जो स्वीकार है। मिसल बन्दोबस्त 01.07.1989 से 30.06.2009 में खाता संख्या 56 में ख0नं0 169 रकबा 0.32 है0 एवं 304 रकबा 0.15 है0 किता 2 रकबा 0.47 है0 पर आवंटी गोपाल पुत्र पन्नालाल जाति बैरवा सा0 देह के नाम गैरखातेदारी दर्ज है, जो वर्तमान रिकार्ड में भी चले आ रहे है। जो गत खसरा नं0 198 का रकबा 18 बिस्वा का नया नं0 304 रकबा 0.15 है0 एवं ख0नं0 88 का रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा का ख0नं0 169 का रकबा 0.32 है0 बने है। आवंटित खसरा नं0 35 रकबा 8 बीघा के नवीन खसरा एवं 54 का रकबा 0.69 है0 झाड़झंगड खाता 1 चारागाह के उपयोग हेतु दर्ज है। ख0नं0 57 का रकबा 2.08 है0 गै0मु0 सडक दर्ज है, खाता 1 ख0नं0 56 का रकबा 7.35 है0 गैर मु0 पठार वनविभाग ख0नं0 76 का रकबा 8.27 है0 गैर मु0 पठार वनविभाग ख0नं0 77 का रकबा 9.78 है0 गैर मु0 पठार वनविभाग ख0नं0 93 का रकबा 1.82 है0 गैर मु0 पठार चारागाह हेतु खाता 1 ख0नं0 100 का रकबा 0.94 है0 गैर मु0 पठार चारागाह हेतु 4 पगडंडिया एवं रास्ता खाता सं0 1 उपरोक्तानुसार दर्ज रिकार्ड अनुसार है इस प्रकार आवंटी का ख0नं0 35 का रकबा 8 बीघा की पूर्ति सिवायचक काबिल कास्त के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नही होने से राजहित को मध्य नजर रखते हुये कमी पूर्ति नही की जा सकती है। रिकार्ड सेवा में प्रेषित है।

तहसीलदार अटरू से वर्तमान मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि प्रार्थीगण के पिता गोपाल पुत्र पन्ना लाल बैरवा को दिनांक 23.12.1975 को ख0नं0 35 रकबा 8 बीघा ख0नं0 88 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आवंटन हुई थी। वाद पत्र में अंकित ख0नं0 35 रकबा 8 बीघा गोपाल पुत्र पन्नालाल बैरवा के गैर खातेदारी 23.12.1975 को दर्ज हुई। ख0नं0 35 के नवीन ख0नं0 56, 57, 93, 77, 73, 54 बने है, प्रार्थी मदन लाल वगै0 का वर्तमान में कब्जा एवं काश्त ख0नं0 77 रकबा 9.78 है0 गैरमु0 पठार सिवायचक पर लगभग 8 बीघा का है। प्रार्थी द्वारा मौके पर सोयाबीन बो रखी है। तथा खेत के रिपोर्ट अनुसार

वादी को 23.12.1975 को आवंटित भूमि ख0नं0 35 रकबा 8 बीघा गैर खातेदारी में दर्ज थी तथा वादी का भूमि पर कब्जा लगातार चला आ रहा है।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 से Pw_3 के बयान लेखबद्ध किये गये, अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी वाद में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम माल सींदनी की दिनांक 23.12.1975 को वादीगण के पिता गोपाल पुत्र पन्ना लाल को ख0नं0 35 में से 8 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जो कब्जे काश्त में वादीगण के चल रही है। जिसके नवीन रकबा 1.28 है0 बनाकर सरकारी रकबें में मिला दिया गया जबकि हमारा कब्जा आवंटन के समय से चल रहा है। जिसको कम करके वादीगण के खाते दर्ज कर दिया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड आवंटन आदेश 23.12.1975 EXP 2 15.10.2015 पेश किया है, जिसमें गोपाल पुत्र पन्नालाल बैरवा निवासी सींदनी को ख0नं0 35 का रकबा 8 बीघा, ख0नं0 88 का 2 बीघा 10 बिस्वा ख0नं0 198 की 1 बीघा 2 बिस्वा कुल 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी जो गैर खातेदारी में सम्वत् 2034 से 2036 में दर्ज है। वक्त बन्दोबस्त साबिक ख0नं0 35 की 8 बीघा जो प्रार्थी के गैरखातेदारी में दर्ज थी जिसके नवीन ख0नं0 77 रकबा 9.78 में मिलाकर प्रार्थी की गैर खातेदारी बिना किसी आधार के गैर खातेदारी से कम करते हुये वनविभाग के खाते दर्ज करदी गई है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना अधिकार के गैर खातेदारी भूमि को वनविभाग के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम सींदनी के साबिक नं0 35 रकबा 8 बीघा सिवायचक का हाल ख0नं0 77 रकबा 9.78 है0 गैर मु0 पठार (वन) में से 8 बीघा भूमि यानी नवीन रकबा 1.28 है0 भूमि पर वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। शेष भूमि गैर0 मु0 पठार वन के नाम रखी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 30/2015

उनवान

1. मदनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान।
2. रामकिशन आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. प्रभूलाल आयु 40 वर्ष पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खेडलीगद्धियान तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम सींदनी के साबिक नं0 35 रकबा 8 बीघा सिवायचक का हाल ख0नं0 77 रकबा 9.78 है0 गैर मु0 पठार (वन) में से 8 बीघा भूमि यानी नवीन रकबा 1.28 है0 भूमि पर वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। शेष भूमि गैर0 मु0 पठार वन के नाम रखी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 16:57:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: